भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5025

1 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र को कार्बन-मुक्त बनाना

5025. श्री शशांक मणि:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र को कार्बन-मुक्त बनाने और संसाधन दक्षता में सुधार करने की दिशा में कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस्पात उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर या रीसाइक्लिंग पहल जैसी विशिष्ट प्रौद्योगिकियां या परिपाटियां शुरू की हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सतत् और कम कार्बन वाले इस्पात के विनिर्माण में बदलाव पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए निजी क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ किए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख): सरकार द्वारा हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने, कार्बन कैप्चर व पुनर्चक्रण पहलों सहित भारत में इस्पात क्षेत्र को अकार्बनीकृत करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित करने और श्रेणीबद्ध करने हेतु मानक प्रदान करने हेतु हरित इस्पात के लिए वर्गीकरण जारी किया है।

ii. इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप "ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप और एक्शन प्लान" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्य की दिशा में हरित इस्पात और संधारणीयता के लिए भविष्य का रोडमैप प्रदान करती है। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

iii. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग हेतु पॉयलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 07 पॉयलट परियोजनाएं प्रदान की हैं।

iv. जनवरी, 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है तथा इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता करता है।

जारी..2/-

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहन/निरुत्साहन प्रणाली शामिल है। नीति के तहत, एमओआरटीएच ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) के पंजीकरण और कार्यों के लिए नियम जारी किए हैं, जो पर्यावरण विनियमों के तहत धातु और अन्य सामग्रियों की आगे की वसूली के लिए उपयोगिता अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवीएस) के प्रदूषण को कम करने और उन्हें विखंडन करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करता है।

vi. खान मंत्रालय ने औपचारिक और सुव्यवस्थित पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय अलौह धातु स्क्रैप पुनर्चक्रण फ्रेमवर्क, 2020' पेश किया है। यह फ्रेमवर्क स्क्रैप के पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण के लिए मानक प्रक्रियाएं निर्धारित करता है और धातु स्क्रैप पुनर्चक्रण क्रियाकलापों को सुविधाजनक बनाने हेतु एक तंत्र विकसित करता है।

vii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 प्रस्तुत किया है, जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन (ईएलवी) के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को अधिदेशित करता है, जिसके तहत वाहन उत्पादकों को वाहन के प्रकार और रिकवर्ड मेटेरियल के आधार पर वार्षिक स्क्रैपिंग लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक होता है।

viii. सरकार (विद्युत मंत्रालय) द्वारा दिनांक 28 जून, 2020 को कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना (सीसीटीएस) अधिसूचित की गई, जो भारतीय कार्बन बाजार की कार्यपद्धति के लिए सम्पूर्ण रूपरेखा प्रदान करती है।

(ग) और (घ): इस्पात मंत्रालय के सीपीएसई कम कार्बन इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया से मेसर्स बीएचपी, जर्मनी से मेसर्स एसएमएस, यूनाईटेड किंगडम से मेसर्स प्रीमेटल टेक्नोलॉजी, बेल्जियम से मेसर्स जॉन कॉकेरिल इंडिया लिमिटेड, मेसर्स राम चरन कंपनी प्रा. लि., मद्रास, आईआईटी, बॉम्बे के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलैंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाईजेशन (एनसीओई-सीसीयू), और ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉरपोरेशन लि. जैसे प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ सहयोग कर रहे हैं।

*****